NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DECCAN HERALD, Bengaluru, 24.10.2024
Page No. 9, Size:(32.57)cms X (9.79)cms.

End caste discrimination, not caste data

SHRUTIKA PANDEY AND SIDDHARTH LAMBA

On October 3, the Supreme Court of India passed a landmark judgement declaring provisions in state prison rules that reinforced caste-based work allocations and segregation of prisoners unconstitutional. In a welcome move, the SC ruled that such provisions and practices violate the fundamental rights to equality and life (Articles 14 and 21) and against discrimination, untouchability, and forced labour (Articles 15, 17, and 23). It directed the revision of state prison manuals, some as old as 1954, and the recent Model Prison Manual 2016 and the Model Prison Act 2023 framed by the Union Government. The court also directed the District Legal Services Authority and the Board of Visitors to monitor prisons for caste-based practices.

However, in the same vein, the Court also directed the deletion of the "caste column" and any references to caste in prison records. This directive will erase caste demographics from the criminal justice system—a crucial tool for understanding and addressing such disparities in prisons, as the prison population is the sole public dataset containing caste information.

The Court was adjudicating a petition by Sukanya Shantha, a journalist who uncovered evidence of caste-based segregation and work allocation in Indian prisons. Her report found that prison manuals assigned oppressed caste prisoners menial roles of sweeping and cleaning sewers. In contrast, the oppressor caste prisoners had more meaningful roles in kitchens, medical rooms, and offices. Her petition challenged the constitutionality of these offending provisions.

According to the National Crime Records Bureau's Prison Statistics of India 2022, Scheduled Castes account for 22.4% of the prison population, against a 16.6% share in the general population per the 2011 census. Similarly, Scheduled Tribes, representing just 8.6% of the general population, constitute 11% of those incarcerated. These figures expose a harsh truth: caste-based disparities extend beyond society, seeping into the criminal justice system, where they remain entrenched through institutional inequities.

Since 1995, the NCRB has reported annual prison statistics collected from the prison headquarters of all states and Union Territories. Deletion of caste columns from prison registers will mean that there will be no public record of the caste demography of prisoners. It is important to note that the prison population is the only dataset that records caste demographics. Such information is not systematically collected or maintained during the stages of arrest, remand, prison admission, bail, conviction, acquittal, etc.

Throughout the years, the data on prisoners' caste has consistently shown an over-representation of marginalised communities, except in 2016 and 2017, when NCRB did not report the caste and religion demography for reasons best known to them. This data serves as a stark reminder of an unsettling reality—the lowest group in the social hierarchy is more likely to face criminal charges and imprisonment.

The directive to erase all caste references in prison records will make caste invisible to policymakers but not to oppressive social forces, which don't rely on data to perpetuate. The erasure of this critical information risks obscuring the systemic inequalities in the justice system, perpetuating the very caste-based injustices that the judgement seeks to rectify.

The 148-page judgement fails to explain how such record deletion will contribute to dismantling caste-based practices within the prison system. By suggesting that caste be removed from records, the judgement oversimplifies the issue, implying that it can be detached from an individual's social reality. It neglects that caste is an ascriptive social identity deeply embedded in daily life, regardless of official documentation. For instance, caste-based surnames will continue to signify social hierarchies, reinforcing marginalisation across various contexts, including within prisons.

This directive threatens the record of caste demographics in prisons, as caste data is not merely an administrative detail but a crucial first step toward effective policy-making. Such statistics are vital for grasping the extent of caste-based criminalisation and the disproportionate impact of incarceration on marginalised communities. Without a clear picture of the problem, any attempts to promote equity and justice for marginalised groups will remain devoid of informed action.

Deleting castes from data records has a deep historical context, present in the very fabric of the oppressor caste's political agenda. B R Ambedkar's essay in *From Millions to Fractions* records this age-old struggle for caste enumeration of the untouchables. It records the origin of the "high caste Hindu" argument that listing of "untouchables" by the government will perpetuate untouchability. After almost a century-long struggle for social justice, the ruling party continues to ride on the same rhetoric that such enumeration will lead to social division and entrench hierarchies.

The SC direction to delete caste columns in prison data fares no better. Though the Chief Justice of India mentions 'Ambedkar' 42 times in the judgement to set the context of caste discrimination, it still, intentionally or not, slips in the political rhetoric that erasing records equals erasing casteism. It overlooks that the true goal of social justice is to guarantee equal status to all communities without needing to hide caste identities.

Making a case for accurate enumeration, Ambedkar writes, "If the Untouchables make no noise, the Hindu feels no shame for their condition and is quite indifferent as to their numbers. Whether there are thousands or millions of them, he does not care to bother."

(Shrutika Pandey is a lawyer and researcher who works with iProbono India, running programmes to provide legal support to prisoners. Siddharth Lamba is a lawyer and researcher who works on criminal justice issues)

DAILY EXCELSIOR, Jammu, 24.10.2024
Page No. 9, Size:(6.03)cms X (10.19)cms.

Displaced Kashmiri Hindus submit memorandum to NHRC Chairperson at Jammu on Wednesday.

Delegation of displaced Kashmiri Hindus meets Chairperson NHRC

Excelsior Correspondent

JAMMU, Oct 23: A delegation of displaced Kashmiri Hindus here today met National Human Rights Commission (NHRC) Chairperson, Vijaya Bharti Siyani in the presence of Commission's DG Investigation, Ajay Bhatnagar.

The delegation was led by Dr. M.K Bharat, Chairman Sanjeevani Sharda Kendra and it submitted a memorandum containing 13 demands.

These demands included justice for the Kashmiri Hindus killed by terrorists, recognition of genocide and massacre of Kashmiri Hindus, their return to their native land with honour and security, rehabilitation, rebuilding of temples and pilgrimage sites, political representation, employment package, security of employees posted in Kashmir, suitable accommodation for employees posted in Kashmir, skill development schemes for KP youth, distress sale of property should be stopped and opening of Sharda Mata temple corridor.

The NHRC Chairperson assured that the demands of the community shall be positively recommended to the concerned quarters.

The delegation included Shiban Khaibari, Vikas Raina, Pyare Lal Bhat, Sandeep Pandita and Maharaj Krishan Bhat.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Fazilka, 24.10.2024
Page No. 4, Size:(7.30)cms X (7.74)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण

साफ-सफाई, स्टाफ की कमी और सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं

फाजिल्का के सिविल अस्पताल की जांच करती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम।

भास्कर न्यूज | फाजिल्का

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम ने बुधवार को फाजिल्का के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। जिसमें कई गंभीर कमियां सामने आई हैं।

टीम का नेतृत्व कर रहे डॉ. एससी पंत ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। अस्पताल की सफाई व्यवस्था, स्टाफ की कमी, और सुरक्षा के अभाव को लेकर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर पंत ने बताया कि उनकी टीम का मुख्य उद्देश्य फाजिल्का के जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के योग्य बनाना है।

इस दिशा में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, शौचालय और अन्य स्थानों का दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्पताल की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। शौचालयों में गंदगी और अन्य स्थानों पर भी साफ-सफाई की कमी नजर आई। इसके साथ ही, अस्पताल में स्टाफ की भी कमी है, मरीजों की देखभाल और उपचार में बाधा डाल रही है।

डॉ. पंत ने कहा कि स्टाफ की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अस्पताल में सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अस्पताल परिसर में कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। डा. पंत ने कहा कि उनकी टीम इस निरीक्षण के आधार पर अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी। रिपोर्ट में जहां-जहां कमियां पाई गई हैं, उनके सुधार के लिए सुझाव दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब फाजिल्का का सरकारी अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के लिए योग्य होगा, तब इसे यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए छह महीने का समय निर्धारित किया गया है।

DAINIK BHASKAR, Muzafarpur, 24.10.2024
Page No. 8, Size:(10.73)cms X (16.81)cms.

किडनी कांड : एनएचआरसी में अवमानना वाद दायर

मुजफ्फरपुर| झोलाछाप डॉक्टरों के कारण दोनों किडनी गंवाने से मरी सुनीता के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर किया गया है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने वाद दायर किया है। अधिवक्ता ने कहा कि सुनीता की मौत सरकार की लापरवाही का नतीजा है। आयोग ने सरकार को आदेश दिया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनीता की किडनी ट्रांसप्लांट कराने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन, आयोग के आदेशों का पालन सरकार ने नहीं किया। इस कारण सुनीता को अपनी जान गंवानी पड़ी। सकरा की बरियारपुर निवासी सुनीता की मौत बीते 21 अक्टूबर को एसकेएमसीएच में हो थी। आयोग ने बीते अप्रैल में बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनीता की किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाए। अगले माह अवमाननावाद पर आयोग में सुनवाई हो सकती है। इसके बाद अधिवक्ता एसके झा स्थिति से आयोग को अवगत कराएंगे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Muzaffarpur, 24.10.2024
Page No. 4, Size:(5.37)cms X (7.78)cms.

मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा सुनीता की मौत का मामला

अधिवक्ता ने इस बार आयोग में दायर किया अवमाननावाद मानवाधिकार आयोग के आदेश का नहीं हुआ था पालन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : सिस्टम की शिकार होकर पहले अपनी किडनी और फिर जान गंवाने वाली सुनीता का मामला एक बार फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा है। अधिवक्ता एसके झा ने इस बार आयोग में अवमाननावाद दायर किया है। आरोप लगाया कि सिस्टम की जाल में फंसकर सुनीता की जान चली गई। दो साल में भी उसके लिए किडनी का इंतजाम नहीं हुआ।

इस मामले के आरोपी को पुलिस खोज नहीं पाई। अवमाननावाद पर अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है। आयोग ने सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर एसकेएमसीच में भर्ती सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाएं, लेकिन आयोग द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया। सरकार समय पर सही तरीके से कदम उठाती तो सुनीता की जान बच सकती थी। कहा कि यह मामला रेयर है। झोलाछाप डाक्टर ने गर्भाशय के आपरेशन के नाम पर उसकी किडनी निकाल दी। उसके बाद वह लंबे समय तक एसकेएमसीएच में रही। किडनी का इंतजाम नहीं हो सका। उसका इलाज भी देश के बड़े अस्पताल में नहीं किया गया। 21 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। कहा कि इस मामले में वह सुनीता को न्याय दिलाने के लिए पहल कर रहे हैं। अब आयोग इस पर फिर से सुनवाई करेगा। उम्मीद है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले को चिह्नित कर कार्रवाई होगी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Patna, 24.10.2024
Page No. 6, Size:(5.37)cms X (10.98)cms.

आयोग के मानीटर ने वन स्टाप सेंटर का किया दौरा

अधिकारियों ने महिला एवं बाल विकास निगम के 181 महिला हेल्पलाइन वन स्टाप सेंटर का किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, पटना : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मानिटर डा. योगेश दुबे ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास निगम के 181 महिला हेल्पलाइन वन स्टाप सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महिला अधिकारों और सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की।

डा. दुबे ने पटना सभागार भवन में आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में भी भाग लिया, जिसमें राज्य के 38 जिलों के केंद्र प्रशासक, जिला मिशन समन्वयक और जेंडर विशेषज्ञ उपस्थित थे। कार्यशाला का विषय घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 था, जिसमें घरेलू हिंसा की रोकथाम और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर, डा. दुबे ने प्रतिभागियों से मिशन शक्ति के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी ली और वन स्टाप सेंटर पर प्राप्त शिकायतों की प्रकृति तथा समाधान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मांगी।

वही डा दुबे ने महिला सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी कोशिशों को और मजबूत करें।

वन स्टाप सेंटर में समाधान प्रक्रिया की जानकारी लेते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानीटर डा. योगेश दुबे ● जागरण

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PRABHAT KHABAR, Muzaffarpur, 24.10.2024
Page No. 3, Size:(28.15)cms X (6.57)cms.

सुनीता किडनी कांड मामले में एनएचआरसी में अवमानना वाद दायर

मुजफ्फरपुर. जिले के चर्चित किडनी कांड मामले में पीड़िता सुनीता की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर किया गया है. यह वाद मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा के द्वारा दायर कराया गया है.कहा कि बिहार सरकार मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है. सुनीता की मौत सरकार की लापरवाही का नतीजा है. माननीय आयोग के द्वारा बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर बिहार सरकार, पीड़िता सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाये. लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस कारण सुनीता को अपनी जान गंवानी पड़ी. बता दें कि किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की मौत 21 अक्तूबर को हो गयी थी.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDUSTAN, Muzaffarpur, 24.10.2024
Page No. 4, Size:(5.89)cms X (5.16)cms.

मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर

किडनी कांड

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। किडनी कांड पीड़िता सुनीता की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर किया गया है। अधिवक्ता एसके झा ने अवमानना वाद में सरकार पर मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सुनीता की मौत लापरवाही का नतीजा है।

आयोग ने आदेश दिया था कि सुनीता की किडनी प्रत्यारोपित कराने की दिशा में उच्च प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जाएं। लेकिन, आयोग के आदेश का पालन नहीं हुआ। किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण बीते 21 अक्टूबर को एसकेएमसीएच में भर्ती सुनीता की मौत हो गई।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAILY EXCELSIOR, Jammu, 24.10.2024
Page No. 9, Size:(6.03)cms X (10.19)cms.

Displaced Kashmiri Hindus submit memorandum to NHRC Chairperson at Jammu on Wednesday.

Delegation of displaced Kashmiri Hindus meets Chairperson NHRC

Excelsior Correspondent

JAMMU, Oct 23: A delegation of displaced Kashmiri Hindus here today met National Human Rights Commission (NHRC) Chairperson, Vijaya Bharti Siyani in the presence of Commission's DG Investigation, Ajay Bhatnagar.

The delegation was led by Dr. M.K Bharat, Chairman Sanjeevani Sharda Kendra and it submitted a memorandum containing 13 demands.

These demands included justice for the Kashmiri Hindus killed by terrorists, recognition of genocide and massacre of Kashmiri Hindus, their return to their native land with honour and security, rehabilitation, rebuilding of temples and pilgrimage sites, political representation, employment package, security of employees posted in Kashmir, suitable accommodation for employees posted in Kashmir, skill development schemes for KP youth, distress sale of property should be stopped and opening of Sharda Mata temple corridor.

The NHRC Chairperson assured that the demands of the community shall be positively recommended to the concerned quarters.

The delegation included Shiban Khaibari, Vikas Raina, Pyare Lal Bhat, Sandeep Pandita and Maharaj Krishan Bhat.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK BHASKAR, Fazilka, 24.10.2024
Page No. 4, Size:(7.30)cms X (7.74)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण

साफ-सफाई, स्टाफ की कमी और सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं

फाजिल्का के सिविल अस्पताल की जांच करती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम।

भास्कर न्यूज | फाजिल्का

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम ने बुधवार को फाजिल्का के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। जिसमें कई गंभीर कमियां सामने आई हैं।

टीम का नेतृत्व कर रहे डॉ. एससी पंत ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। अस्पताल की सफाई व्यवस्था, स्टाफ की कमी, और सुरक्षा के अभाव को लेकर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर पंत ने बताया कि उनकी टीम का मुख्य उद्देश्य फाजिल्का के जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के योग्य बनाना है।

इस दिशा में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, शौचालय और अन्य स्थानों का दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्पताल की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। शौचालयों में गंदगी और अन्य स्थानों पर भी साफ-सफाई की कमी नजर आई। इसके साथ ही, अस्पताल में स्टाफ की भी कमी है, मरीजों की देखभाल और उपचार में बाधा डाल रही है।

डॉ. पंत ने कहा कि स्टाफ की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अस्पताल में सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि अस्पताल परिसर में कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। डा. पंत ने कहा कि उनकी टीम इस निरीक्षण के आधार पर अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी। रिपोर्ट में जहां-जहां कमियां पाई गई हैं, उनके सुधार के लिए सुझाव दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब फाजिल्का का सरकारी अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के लिए योग्य होगा, तब इसे यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए छह महीने का समय निर्धारित किया गया है।

DAINIK BHASKAR, Muzafarpur, 24.10.2024
Page No. 8, Size:(10.73)cms X (16.81)cms.

किडनी कांड : एनएचआरसी में अवमानना वाद दायर

मुजफ्फरपुर| झोलाछाप डॉक्टरों के कारण दोनों किडनी गंवाने से मरी सुनीता के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर किया गया है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने वाद दायर किया है। अधिवक्ता ने कहा कि सुनीता की मौत सरकार की लापरवाही का नतीजा है। आयोग ने सरकार को आदेश दिया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनीता की किडनी ट्रांसप्लांट कराने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन, आयोग के आदेशों का पालन सरकार ने नहीं किया। इस कारण सुनीता को अपनी जान गंवानी पड़ी। सकरा की बरियारपुर निवासी सुनीता की मौत बीते 21 अक्टूबर को एसकेएमसीएच में हो थी। आयोग ने बीते अप्रैल में बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनीता की किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाए। अगले माह अवमाननावाद पर आयोग में सुनवाई हो सकती है। इसके बाद अधिवक्ता एसके झा स्थिति से आयोग को अवगत कराएंगे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Muzaffarpur, 24.10.2024
Page No. 4, Size:(5.37)cms X (7.78)cms.

मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा सुनीता की मौत का मामला

अधिवक्ता ने इस बार आयोग में दायर किया अवमाननावाद
मानवाधिकार आयोग के आदेश का नहीं हुआ था पालन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : सिस्टम की शिकार होकर पहले अपनी किडनी और फिर जान गंवाने वाली सुनीता का मामला एक बार फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा है। अधिवक्ता एसके झा ने इस बार आयोग में अवमाननावाद दायर किया है। आरोप लगाया कि सिस्टम की जाल में फंसकर सुनीता की जान चली गई। दो साल में भी उसके लिए किडनी का इंतजाम नहीं हुआ।

इस मामले के आरोपी को पुलिस खोज नहीं पाई। अवमाननावाद पर अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है। आयोग ने सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर एसकेएमसीच में भर्ती सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाएं, लेकिन आयोग द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया। सरकार समय पर सही तरीके से कदम उठाती तो सुनीता की जान बच सकती थी। कहा कि यह मामला रेयर है। झोलाछाप डाक्टर ने गर्भाशय के आपरेशन के नाम पर उसकी किडनी निकाल दी। उसके बाद वह लंबे समय तक एसकेएमसीएच में रही। किडनी का इंतजाम नहीं हो सका। उसका इलाज भी देश के बड़े अस्पताल में नहीं किया गया। 21 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। कहा कि इस मामले में वह सुनीता को न्याय दिलाने के लिए पहल कर रहे हैं। अब आयोग इस पर फिर से सुनवाई करेगा। उम्मीद है कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले को चिह्नित कर कार्रवाई होगी।

आयोग के मानीटर ने वन स्टाप सेंटर का किया दौरा

जागरण संवाददाता, पटना : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मानिटर डा. योगेश दुबे ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास निगम के 181 महिला हेल्पलाइन वन स्टाप सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महिला अधिकारों और सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की।

डा. दुबे ने पटना सभागार भवन में आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में भी भाग लिया, जिसमें राज्य के 38 जिलों के केंद्र प्रशासक, जिला मिशन समन्वयक और जेंडर विशेषज्ञ उपस्थित थे। कार्यशाला का विषय घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 था, जिसमें घरेलू हिंसा की रोकथाम और पीड़ितों को

अधिकारियों ने महिला एवं बाल विकास निगम के 181 महिला हेल्पलाइन वन स्टाप सेंटर का किया निरीक्षण

सहायता प्रदान करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर, डा. दुबे ने प्रतिभागियों से मिशन शक्ति के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी ली और वन स्टाप सेंटर पर प्राप्त शिकायतों की प्रकृति तथा समाधान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी मांगी।

वहीं डा दुबे ने महिला सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी कोशिशों को और मजबूत करें।

वन स्टाप सेंटर में समाधान प्रक्रिया की जानकारी लेते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानीटर डा. योगेश दुबे ● जागरण

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PRABHAT KHABAR, Muzaffarpur, 24.10.2024
Page No. 3, Size:(28.15)cms X (6.57)cms.

सुनीता किडनी कांड मामले में एनएचआरसी में अवमानना वाद दायर

मुजफ्फरपुर. जिले के चर्चित किडनी कांड मामले में पीड़िता सुनीता की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर किया गया है. यह वाद मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा के द्वारा दायर कराया गया है.कहा कि बिहार सरकार मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है. सुनीता की मौत सरकार की लापरवाही का नतीजा है. माननीय आयोग के द्वारा बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर बिहार सरकार, पीड़िता सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाये. लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस कारण सुनीता को अपनी जान गंवानी पड़ी. बता दें कि किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की मौत 21 अक्तूबर को हो गयी थी.

HINDUSTAN, Muzaffarpur, 24.10.2024
Page No. 4, Size:(5.89)cms X (5.16)cms.

मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर

किडनी कांड

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। किडनी कांड पीड़िता सुनीता की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर किया गया है। अधिवक्ता एसके झा ने अवमानना वाद में सरकार पर मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सुनीता की मौत लापरवाही का नतीजा है।

आयोग ने आदेश दिया था कि सुनीता की किडनी प्रत्यारोपित कराने की दिशा में उच्च प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जाएं। लेकिन, आयोग के आदेश का पालन नहीं हुआ। किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण बीते 21 अक्टूबर को एसकेएमसीएच में भर्ती सुनीता की मौत हो गई।

BHASKAR, Online, 24.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

फाजिल्का पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम:सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण, सफाई-स्टाफ समेत अनेक कमियां मिली

https://www.bhaskar.com/local/punjab/fazilka/news/fazilka-national-human-rights-commission-teamcivil-hospital-inspection-133851085.html

फाजिल्का16 घंटे पहले

फाजिल्का में बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम पहुंची। इस टीम ने सरकारी अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम का नेतृत्व कर रहे डा. एस सी पंत ने कहा कि अस्पताल में दौरे दौरान सफाई व्यवस्था में जहां कमी पाई गई है। वहीं स्टाफ की कमी है और सुरक्षा का भी कोई प्रबंध नहीं है। जिसके चलते उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी।

डा. एस सी पंत ने बताया कि फाजिल्का के जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण योग्य बनाने के लिए वह फाजिल्का के जिला सरकारी अस्पताल का दौरा करने के लिए आए हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, शौचालय और अन्य स्थानों का दौरा किया है। सफाई में कमी पाई गई है। स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी सुरक्षा की भी है। कोई भी सुरक्षा कर्मी यहां पर मौजूद नहीं है।

अस्पताल को मिलेगा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र

उन्होंने कहा कि, रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। जहां पर कमियां हैं उनको सही करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे और जब फाजिल्का का सरकारी अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र के योग्य होगा। तब इसे राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। इस काम के लिए 6 महीने का समय निश्चित किया गया है।

BHASKAR, Online, 24.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

किडनी कांड : एनएचआरसी में अवमानना वाद दायर

https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/kidney-scandal-contempt-case-filed-in-nhrc-133853979.html

मुजफ्फरपुर3 घंटे पहले

मुजफ्फरपुर। झोलाछाप डॉक्टरों के कारण दोनों किडनी गंवाने से मरी सुनीता के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर किया गया है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने वाद दायर किया है। अधिवक्ता ने कहा कि सुनीता की मौत सरकार की लापरवाही का नतीजा है। आयोग ने सरकार को आदेश दिया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनीता की किडनी ट्रांसप्लांट कराने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन, आयोग के आदेशों का पालन सरकार ने नहीं किया। इस कारण सुनीता को अपनी जान गंवानी पड़ी। सकरा की बरियारपुर निवासी सुनीता की मौत बीते 21 अक्टूबर को एसकेएमसीएच में हो थी। आयोग ने बीते अप्रैल में बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनीता की किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाए। अगले माह अवमाननावाद पर आयोग में सुनवाई हो सकती है। इसके बाद अधिवक्ता एसके झा स्थिति से आयोग को अवगत कराएंगे।

(Manipur news)

Imphal कुकी समूह ने प्रधानमंत्री और एनएचआरसी से मणिपुर में हस्तक्षेप की अपील की

https://samacharnama.com/city/imphal/imphal-kuki-group-urges-pm-nhrc-to-intervene-in-manipur/cid15581657.htm

By Local DeskOct 23, 2024, 19:00 IST

इम्फाल न्यूज़ डेस्क ।। 22 अक्टूबर (पीटीआई) कुकी समूहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय **मानवाधिकार आयोग** को पत्र लिखकर मणिपुर में संघर्ष की स्थिति को कम करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, जो पिछले साल से जातीय हिंसा से त्रस्त है। कुकी मानवाधिकार संगठन (कोहूर) ने अपने पत्र में मैतेई लोगों पर आदिवासी भूमि हड़पने के लिए "बहुसंख्यक उत्पात" शुरू करने का आरोप लगाया है। "यह न तो पहली बार है और न ही आखिरी बार होगा; आदिवासी लोगों के संवैधानिक संरक्षण और मानवाधिकारों का बार-बार उल्लंघन और दुरुपयोग किया गया है," इसने कहा। पत्र में पूर्वोत्तर राज्य में हिंसक घटनाओं पर कई समाचार क्लिपिंग और रिपोर्ट भी शामिल थीं। कुकी समूह ने एनएचआरसी से मणिपुर राज्य सरकार और बहुसंख्यक मैतेई जातीय सफाई नरसंहार को रोकने और अल्पसंख्यक कुकी-ज़ो आदिवासी समुदाय को पूर्ण विनाश से बचाने के लिए मणिपुर में "दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हस्तक्षेप" करने का आग्रह किया। कोहूर ने कहा, "वर्तमान राज्य प्रायोजित मीतेई युद्ध न केवल मानव-विरोधी और आदिवासी-विरोधी है, बल्कि संविधान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी भी है, और आपके हस्तक्षेप से निश्चित रूप से उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी।"

JANTA SE RISHTA, Online, 24.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

(Jammu News)

मानवाधिकार मंच ने NHRC अध्यक्ष से मुलाकात की

https://jantaserishta.com/local/jammu-and-kashmir/human-rights-forum-meets-nhrc-chairperson-3602417

Triveni23 Oct 2024 8:18 PM

JAMMU जम्मू: फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की स्थानीय इकाई के सदस्यों ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग National Human Rights Commission, एनएचआरसी की अध्यक्ष विजया भारती सयानी से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों पर चर्चा की और उन्हें मौजूदा हालात से अवगत कराया। इस अवसर पर आयोग के डीजी जांच अजय भटनागर भी मौजूद थे। फोरम के प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता एसएस नंदा, एडवोकेट राकेश चरगोत्रा, एडवोकेट सुनील मल्होत्रा, एडवोकेट दिवाकर शर्मा, एडवोकेट रोहन नंदा, एडवोकेट दीपक शर्मा, एडवोकेट चेतन प्रभाकर और एडवोकेट कर्ण पराशर सहित अन्य अधिवक्ता शामिल थे।

फोरम के सदस्यों ने **एनएचआरसी** की राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया कि जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्याएं मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन हैं। इस संदर्भ में फोरम ने दो दिन पहले गंदेरबल में हुए आतंकवादी हमले का हवाला दिया जिसमें 7 लोग मारे गए थे। इसके अलावा मंच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के कारण अपने वतन से विस्थापित हुए कश्मीरी हिंदुओं, जम्मू के विस्थापितों और तलवारा के विस्थापितों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी की ओर भी आकर्षित किया। आयोग की अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने मंच के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

(Jammu News)

Jammu Kashmir: कश्मीरी हिंदू विस्थापितों ने एनएचआरसी से की मुलाकात, 13 सूत्रीय मांगें पूरी करने की मांग

https://www.amarujala.com/jammu/jammu-kashmir-kashmiri-hindu-displaced-people-met-nhrc-demanded-fulfillment-of-13-point-demands-2024-10-23?pageId=2

Updated Wed, 23 Oct 2024 05:21 PM IST

कश्मीरी हिंदू विस्थापितों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जन्मभूमि पर वापसी, सुरक्षा और सम्मान की मांग की गई, नरसंहार पीड़ितों को शहीद का दर्जा देने की मांग भी शामिल है।

कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के शिष्टमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की अध्यक्षा विजया भारती सियानी से मिला। इसका नेतृत्व केंद्र के अध्यक्ष डॉ. एमके भरत ने किया। शिष्टमंडल ने कश्मीरी हिंदू विस्थापित समाज को विगत तीन दशकों से पेश आ रही दिक्कतों से अवगत करवाते हुए 13 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

शिष्टमंडल में शामिल सदस्यों ने कहा कि नरसंहारों में मारे गए 1400 से अधिक लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कट्टर भारतीय और हिंदू होने के कारण आतंकवादियों ने मार डाला था। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं की सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी जन्मभूमि पर वापसी होनी चाहिए।

शिष्टमंडल ने कश्मीर में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा ग्रिड को गंभीरता से दुरुस्त करने की जरूरत पर भी जोर दिया। शिष्टमंडल ने कश्मीरी हिंदू विस्थापित युवाओं के लिए सांस्कृतिक और विरासत को जानने के लिए यात्राओं के आयोजन और शारदा माता का गलियारा करतारपुर साहिब गलियारे की तर्ज पर स्थापित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शारदा माता मंदिर सभी कश्मीरी हिंदुओं द्वारा पूजनीय है, पीओजेके में शारदा मंदिर के रूप में इस महान शिक्षण स्थल के अवशेष पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट किए जाने के कगार पर हैं।

इस मंदिर के लिए श्री करतारपुर साहिब गलियारे जैसा ही एक गलियारा बनाया जाए ताकि समुदाय इस प्रतिष्ठित विरासत को पुनर्जीवित और संरक्षित कर सके और मंदिर में अपनी श्रद्धा भी प्रकट कर सके। आयोग के डीजी इन्वेस्टिगेशन अजय भटनागर उपस्थित थे। शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों में शिबन खैबरी, विकास रैना, प्यारे लाल भट्ट, प्रो.संदीप पंडिता और महाराजा कृष्ण भट्ट भी शामिल थे।
जिला डोडा विस्थापित वेल्फेयर कमेटी के शिष्टमंडल ने एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी से भेंट कर विस्थापित परिवारों को पेश आ रही दिक्कतों से अवगत करवाया। शिष्टमंडल में शामिल विस्थापित वेल्फयेर कमेटी के सदस्यों ने 8 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल का नेतृत्व चेयरमैन कौशल शर्मा ने किया।

उन्होंने बताया कि पुराने डोडा जिले के विस्थापितों को जम्मू विस्थापितों के नाम से भी जाना जाता है।

विस्थापित अपने पैतृक गांवों अथवा स्थानों में जाने को तैयार हैं, बशर्ते उनको बुनियादी सुविधाएं मिले।अदिति सेवा प्रतिष्ठान के संगीता फाटक कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन विजया भारती सयानी के करकमलों द्वारा भारतीय विद्या मंदिर, मुख्य बाजार, पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के पास, वार्ड नंबर 10, उधमपुर में हुआ। सयानी ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो जॉब करने वाले नहीं, जॉब देने वाले बढ़ने चाहिए।
रियासी जिले के तलवाड़ा स्थित विस्थापित कैंप में रहने वाले विस्थापितों के शिष्टमंडल ने **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)** की कार्यवाहक अध्यक्षा विजया भारती सियानी से भेंट कर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इस शिष्टमंडल में रियासी जिले के प्राणकोट, नरकोट, टक्कीकोट, कैंतीचोरा, बलाड, थिल्लों, बहरनाली, कालावन आदि इलाकों के तलवाड़ा में रहने वाले विस्थापित शामिल थे।

इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के डीजी इन्वेस्टिगेशन अजय भटनागर भी उपस्थित थे।फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस की स्थानीय इकाई के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों पर चर्चा करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। फोरम के इस शिष्टमंडल में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट नंदा समेत अन्य एडवोकेट भी शामिल थे।

DAILY EXCELSIOR, Online, 24.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

(Jammu News)

Delegation of displaced Kashmiri Hindus meets Chairperson NHRC

https://www.dailyexcelsior.com/delegation-of-displaced-kashmiri-hindus-meets-chairperson-nhrc/

By Daily Excelsior -October 24, 2024

Excelsior Correspondent

JAMMU, Oct 23: A delegation of displaced Kashmiri Hindus here today met National Human Rights Commission (NHRC) Chairperson, Vijaya Bharti Siyani in the presence of Commission's DG Investigation, Ajay Bhatnagar.

The delegation was led by Dr. M.K Bharat, Chairman Sanjeevani Sharda Kendra and it submitted a memorandum containing 13 demands.

These demands included justice for the Kashmiri Hindus killed by terrorists, recognition of genocide and massacre of Kashmiri Hindus, their return to their native land with honour and security, rehabilitation, rebuilding of temples and pilgrimage sites, political representation, employment package, security of employees posted in Kashmir, suitable accommodation for employees posted in Kashmir, skill development schemes for KP youth, distress sale of property should be stopped and opening of Sharda Mata temple corridor.
The NHRC Chairperson assured that the demands of the community shall be positively recommended to the concerned quarters.

The delegation included Shiban Khaibari, Vikas Raina, Pyare Lal Bhat, Sandeep Pandita and Maharaj Krishan Bhat.

STATESMAN, Online, 24.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

(Manipur news)

Kuki groups urge PM Modi to intervene in Manipur conflict

https://www.thestatesman.com/india/kuki-groups-urge-pm-modi-to-intervene-in-manipur-conflict-1503356850.html

The Kuki Organisation for Human Rights (KOHUR) has urged Prime Minister Narendra Modi and the National Human Rights Commission (NHRC) to intervene to halt the ongoing ethnic violence in Manipur immediately.

Statesman News Service | Imphal | October 23, 2024 4:57 pm

The Kuki Organisation for Human Rights (KOHUR) has urged Prime Minister Narendra Modi and the National Human Rights Commission (NHRC) to intervene to halt the ongoing ethnic violence in Manipur immediately.

Accusing the Meitei community of launching a “majoritarian mayhem” to seize tribal lands, the Kuki group described the violence as state-sponsored ethnic cleansing.

With over 200 deaths since May 2023, it stressed the need for constitutional intervention to protect the minority Kuki-Zo community from annihilation.

Manipur has been plagued by ethnic violence since May 2023, rooted in long-standing tensions between the Meitei and Kuki-Zo communities.

The Meiteis, primarily Hindu and residing in the Imphal Valley, seek Scheduled Tribe status, which the Kuki-Zo groups, predominantly Christian and living in the hill districts, oppose, fearing the erosion of their rights.

Clashes erupted after a court order favouring the Meitei demand, leading to violent confrontations, displacement of thousands, and the deaths of over 200 people. The conflict also involves issues of land, identity, and state control.

MSN, Online, 24.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

(Manipur news)

Kuki groups urge PM Modi to intervene in Manipur conflict

https://www.msn.com/en-in/news/India/kuki-groups-urge-pm-modi-to-intervene-in-manipur-conflict/ar-AA1sMcs4

Story by Statesman News Service • 14h • 1 min read

The Kuki Organisation for Human Rights (KOHUR) has urged Prime Minister Narendra Modi and the National Human Rights Commission (NHRC) to intervene to halt the ongoing ethnic violence in Manipur immediately.

Accusing the Meitei community of launching a “majoritarian mayhem” to seize tribal lands, the Kuki group described the violence as state-sponsored ethnic cleansing

With over 200 deaths since May 2023, it stressed the need for constitutional intervention to protect the minority Kuki-Zo community from annihilation.

Manipur has been plagued by ethnic violence since May 2023, rooted in long-standing tensions between the Meitei and Kuki-Zo communities.

The Meiteis, primarily Hindu and residing in the Imphal Valley, seek Scheduled Tribe status, which the Kuki-Zo groups, predominantly Christian and living in the hill districts, oppose, fearing the erosion of their rights.

Clashes erupted after a court order favouring the Meitei demand, leading to violent confrontations, displacement of thousands, and the deaths of over 200 people. The conflict also involves issues of land, identity, and state control.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

BARANDBENCH, Online, 24.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

(Assam News)

क्या पुलिस एक समुदाय को निशाना बना रही है? असम मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट

Published on: 23 Oct 2024, 10:13 am 3 min read
https://hindi.barandbench.com/news/are-police-targeting-community-supreme-court-assam-encounters-case

पीठ ने आगे कहा कि फर्जी मुठभेड़ों के मामले में राज्य का अतीत परेशानियों भरा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम राज्य से पूछा कि क्या राज्य पुलिस मुठभेड़ के जरिए किसी खास समुदाय को निशाना बना रही है। [आरिफ यासीन जवादर बनाम असम राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्य के वकील से फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में पुलिस की धीमी जांच के बारे में पूछा।

असम से आने वाले जस्टिस भुयान ने टिप्पणी की, "क्या पुलिस कर्मी किसी समुदाय को निशाना बना रहे हैं? क्या वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में अति कर रहे हैं? इस तरह की याचिकाओं को समय से पहले की प्रकृति बताकर खारिज नहीं किया जा सकता... अब तक मजिस्ट्रेट जांच नहीं चलनी चाहिए। इसमें मुश्किल से 10 या 15 दिन लगने चाहिए। ये घटनाएं 2021 और 2022 की हैं। यह निरर्थक होगा।"

बेंच ने कहा कि फर्जी मुठभेड़ों के मामले में राज्य का अतीत खराब रहा है।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "जो भी हो, यह नहीं कहा जा सकता कि मुठभेड़ नहीं हुई। राज्य का अतीत बहुत खराब रहा है। ऐसी रिपोर्टें भी हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते।"

"क्या पुलिसकर्मी किसी समुदाय को निशाना बना रहे हैं? क्या वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में अति कर रहे हैं?"

सुप्रीम कोर्ट

पीठ असम में फर्जी मुठभेड़ हत्याओं पर चिंता जताते हुए और ऐसी मुठभेड़ हत्याओं में शामिल होने के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के अपराध के लिए प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

असम सरकार ने पहले तर्क दिया था कि पिछले दस वर्षों में, भागने वाले अपराधियों में से केवल 10 प्रतिशत ही पुलिस कार्रवाई में घायल हुए हैं और ऐसा आत्मरक्षा के उपाय के रूप में किया गया था।

याचिकाकर्ता, अधिवक्ता आरिफ यासीन जवादर ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असम में पुलिस मुठभेड़ हत्याओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने से इनकार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

उनकी याचिका के अनुसार, मई 2021 से राज्य में 80 से अधिक पुलिस मुठभेड़ हुई हैं।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने वकील होने के बावजूद मीडिया रिपोर्टों और 'अस्पष्ट, सर्वव्यापी' दावों के आधार पर अपनी याचिका दायर करने के लिए उन पर कड़ी फटकार लगाई थी।

आज सुनवाई

आज सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)** असम पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ों से संबंधित मामलों को संभालते समय और अधिक काम करेगा।

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि मानवाधिकार निकाय को मौलिक अधिकारों की रक्षा में सबसे आगे रहना चाहिए।

न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, "हमें उम्मीद थी कि एनएचआरसी इन नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर सबसे आगे रहेगा।"

यह बताए जाने पर कि असम मानवाधिकार आयोग ने फर्जी मुठभेड़ मामले में एक शिकायत को बंद कर दिया था क्योंकि मृतक की पत्नी ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया था, न्यायमूर्ति कांत ने कहा,

"हम इस प्रथा को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। आपको शिकायत को बंद क्यों करना है? आप इसे आगे बढ़ाएं।"

पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे की भी जांच करेगी कि क्या राज्य स्तरीय निकाय मामलों को बंद करने के बजाय डेटा के साथ अदालत जा सकता था।

असम राज्य से 171 मुठभेड़ मामलों और उन मामलों में की गई जांच का विवरण देने के लिए कहने के बाद मामले को अंततः 26 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

(Assam News)

असम में फर्जी मुठभेड़ों के आरोप गंभीर, मानवाधिकार आयोग को सक्रिय रुख अपनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/allegations-of-fake-encounters-in-assam-are-serious-human-rights-commission-should-take-proactive-approach-supreme-court-273299

23 Oct 2024 10:39 AM

असम में 'फर्जी' मुठभेड़ों के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मानवाधिकार आयोगों की स्थापना के पीछे विधायी जनादेश है और उनसे नागरिक स्वतंत्रता के मामलों में सक्रियता से काम करने की उम्मीद की जाती है।

असम के संदर्भ में, इसने उन मामलों में असम मानवाधिकार आयोग द्वारा शुरू की गई जांच, यदि कोई हो, के बारे में डेटा मांगा, जहां 'फर्जी' मुठभेड़ के आरोप लगाए गए थे।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता की इसी मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। कथित तौर पर, हाईकोर्ट का मानना था कि कथित घटनाओं की अलग से जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य के अधिकारी प्रत्येक मामले में जांच कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि असम में सैकड़ों मुठभेड़ें हुई हैं और पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आग्रह किया कि अधिकांश मामलों में न तो कोई फोरेंसिक और बैलिस्टिक विश्लेषण हुआ, न ही कोई मजिस्ट्रेट जांच या स्वतंत्र जांच हुई। इसके बजाय, मुठभेड़ों के पीड़ितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और मुठभेड़ों के आरोपी पुलिसकर्मियों ने खुद ही मुठभेड़ पीड़ितों के मामलों की जांच की।

मुठभेड़ों के पीड़ितों द्वारा दायर विशिष्ट घटनाओं और हलफनामों का हवाला देते हुए, भूषण ने अदालत का ध्यान एक महिला के मामले की ओर आकर्षित किया, जिसने दावा किया कि उसके पति की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी। इस महिला के अनुसार, उसके पति के शरीर पर कई चोटें (नाखून गायब, टूटी हुई हड्डियां आदि) थीं, जो थर्ड-डिग्री टॉर्चर का संकेत देती हैं।

इस बात पर जोर देते हुए कि मुठभेड़ों के पीड़ितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, वकील ने जोर देकर कहा कि मुठभेड़ों के फर्जी होने के आरोपों की कभी कोई जांच नहीं की गई।

दूसरी ओर, असम के एडिशनल एडवोकेट जनरल नलिन कोहली ने बताया कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की साख और "स्पष्ट रूप से झूठे" बयानों के बारे में चिंता व्यक्त की। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता की जनहित याचिका को समय से पहले देखा गया और अनिवार्य रूप से, उन्होंने अनुच्छेद 226 याचिका के माध्यम से डेटा मांगा था। वकीलों की सुनवाई करते हुए, पीठ ने पूछा कि क्या **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने मामले में कोई जांच का आदेश दिया है। भूषण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि, याचिकाकर्ता ने पहले एनएचआरसी से ही संपर्क किया था। हालांकि, एनएचआरसी ने मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर दिया, जिसने इसे बंद कर दिया।

असम एचआरसी द्वारा बंद करने की आलोचना करते हुए, भूषण ने कहा कि आयोग ने 6 महीने तक कुछ नहीं किया, और उसके बाद ही, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की, जिसका हवाला देते हुए असम एचआरसी ने उसके समक्ष मामला बंद कर दिया, भले ही उसे (या असम राज्य को) नोटिस जारी नहीं किया गया था। पीठ ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि 171 मामलों में 'फर्जी' मुठभेड़ों का आरोप लगाया गया है। इनमें से कुछ मामले मौत के हैं, जबकि अन्य गंभीर चोटों के हैं।

जस्टिस भुइयां ने कहा,

"इस तरह की याचिका को समय से पहले खारिज नहीं किया जा सकता...सच यह है कि मुठभेड़ हुई थी...[असम] का अतीत परेशानियों से भरा रहा है और रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में हैं...171 मामलों की संख्या काफी बड़ी है...जिन परिस्थितियों में आरोपियों की मौत हुई है, वे गंभीर संदेह पैदा करते हैं... [...] जोरहाट की घटना का जिक्र करते हुए, जहां आरोपी को सुबह 3 बजे [...] पीछे से एक वाहन से...मोरेगांव की एक घटना में आरोपी को हथकड़ी सहित कुएं में कूदते हुए पाया गया।"

असम से आने वाले न्यायाधीश ने स्वदेशी समुदायों को निशाना बनाए जाने पर और दुख जताते हुए कहा,

"स्वदेशी समुदायों के लोगों को निशाना बनाया जाना सही नहीं है...स्वदेशी समुदायों के लोगों को, हर जगह निशाना बनाया जा रहा है!"

जस्टिस भुइयां ने असम के दरांग जिले में तीन साल पुराने बेदखली अभियान से संबंधित सेवानिवृत्त गौहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश बीडी अग्रवाल की अध्यक्षता वाले एक आयोग की हाल की न्यायिक जांच रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें हिंसा में दो लोग मारे गए थे और अन्य घायल हो गए थे। "बीडी अग्रवाल ने हाल ही में एक न्यायिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने हद पार कर दी है, हालांकि बेदखली उचित थी"

इसके साथ ही जस्टिस कांत ने कहा,

"आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मानवाधिकार आयोग सक्रिय होंगे..."।

जवाब में, कोहली ने बताया कि असम पुलिस को आरोपी व्यक्तियों की पहचान से कोई सरोकार नहीं है और बेदखली मामले में, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की गई थी।

"अतीत में परेशानी" वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए, एएजी ने दलील दी कि असम ने उग्रवाद के खिलाफ युद्ध में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि अपराध का कोण बदल गया है - 'ड्रग्स' नई लड़ाई है। असम किस तरह से प्रवेश द्वार की तरह काम करता है, इस पर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि असम के इतिहास पर विचार करते समय न्यायालय को अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

उनकी बात सुनकर, न्यायालय ने आश्वासन दिया कि वह असम और इसकी भौगोलिक स्थिति की संवेदनशीलता के प्रति सचेत है। हालांकि, वर्तमान मामला नशीली दवाओं से संबंधित नहीं है, और अन्यथा भी, पीयूसीएल के निर्णय के आदेश का अनुपालन होना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि मानवाधिकार आयोग का कर्तव्य है कि वह शिकायतों का अपने आप अनुसरण करे, भले ही पीड़ित/पीड़ित के रिश्तेदार इसका अनुसरण करें या न करें।

अंततः, न्यायालय ने वकीलों से दो पहलुओं पर डेटा लाने को कहा -

(i) किसने आरोपों की जाँच की और परिणाम क्या था? (ii) क्या राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी स्वयं की जांच मशीनरी का उपयोग करके कोई स्वतंत्र जांच करता है?

मामले की पृष्ठभूमि

यह याचिका असम के एक वकील आरिफ मोहम्मद यासीन जवादर ने दायर की है, जिसमें राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा मुठभेड़ों का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि मई 2021 (जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कार्यभार संभाला) से असम पुलिस और विभिन्न मामलों में आरोपी व्यक्तियों के बीच 80 से अधिक फर्जी मुठभेड़ें हुईं। वह सीबीआई, एसआईटी या अन्य राज्यों की पुलिस टीम जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं।

पिछले साल 17 जुलाई को याचिका पर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें असम सरकार के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और असम मानवाधिकार आयोग से जवाब मांगा गया था।

अप्रैल में, न्यायालय ने सुझाव दिया था कि याचिकाकर्ता कुछ अतिरिक्त जानकारी रिकॉर्ड पर पेश करे। उसी के अनुसार, उन्होंने तिनसुकिया मुठभेड़ मामले के पीड़ितों के हलफनामे दाखिल किए हैं, जिसमें तीन व्यक्ति (दीपज्योति नियोग, बिस्वनाथ बरगोहेन और मनोज बरगोहेन) कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में घायल हुए थे।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि तिनसुकिया मुठभेड़ मामले के दो पीड़ितों बिस्वनाथ और मनोज के परिवार के सदस्य गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते थे। लेकिन, संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने तब तक शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया जब तक कि उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि पीड़ित

प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन-उल्फा में शामिल होने जा रहे थे। इसके बजाय, मुठभेड़ होने के बाद पीड़ितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस स्टेशन ढोला (असम) के प्रभारी अधिकारी ने खुद को मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया, जबकि वह मुठभेड़ के समय घटनास्थल पर मौजूद थे और कथित तौर पर पीड़ित दीपज्योति नियोग ने उनकी पिस्तौल छीनी थी।

जब 10 सितंबर को मामले की सुनवाई हुई, तो न्यायालय ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों का "बस ऐसे ही" अपनी जान गंवाना कानून के शासन के लिए ठीक नहीं है। इसने एक आयोग बनाने की अपनी मंशा भी व्यक्त की और पक्षों से इस उद्देश्य के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम सुझाने को कहा।

(Assam News)

Supreme Court Probes Assam Police on Encounter Killings, Suspects Community Targeting

https://lawtrend.in/supreme-court-probes-assam-police-on-encounter-killings-suspects-community-targeting/

By Law Trend October 23, 2024 10:53 AM

The Supreme Court of India has voiced serious concerns regarding the Assam State Police's involvement in encounter killings, questioning if a specific community is being targeted. This issue came to light during the proceedings of a plea filed by advocate Arif Yeasin Jwadder, which scrutinizes the recent rise in police encounters within the state.

Justices Surya Kant and Ujjal Bhuyan, presiding over the hearing, interrogated the State's counsel regarding the sluggish pace of investigations into these encounters, some of which are alleged to be fabricated. Justice Bhuyan, hailing from Assam, pointed out the necessity of expediting magisterial inquiries, which he insisted should take no longer than 10 to 15 days, despite the incidents dating back to 2021 and 2022.

The court remarked on Assam's "very troubled past" with encounters, indicating that the state cannot deny these incidents' occurrence. The plea before the Supreme Court demands the registration of First Information Reports (FIRs) for the murder of individuals allegedly killed in these police encounters, citing over 80 such incidents reported since May 2021 and raising concerns about the absence of independent investigations.In response, the Assam government argued that only a small percentage of criminals attempting to flee were injured by police in what was claimed to be self-defense. However, this explanation did not suffice to alleviate the Bench's concerns, particularly given the delayed progress of ongoing investigations into these so-called fake encounters.

The plea was escalated to the Supreme Court following the Gauhati High Court's dismissal, which criticized the reliance on media reports and deemed the assertions vague. The Supreme Court's hearing also brought to light the perceived inefficacies of the National Human Rights Commission (NHRC) and the Assam Human Rights Commission in addressing the gravity of the situation, with the latter being reprimanded for closing a complaint after the complainant ceased to pursue the case.

The case has been adjourned to November 26, 2024, with the State of Assam directed to submit detailed reports on 171 encounter cases and the status of their investigations. The forthcoming examination of this data by the Supreme Court aims to identify any patterns of targeting specific communities through police encounters.

ASSAM TRIBUNE, Online, 24.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

(Assam News)

SC directs Assam govt to furnish details of 171 encounter killings in state By The Assam

https://assamtribune.com/assam/oppn-demands-accountability-from-assam-govt-as-sc-seeks-details-on-171-encounter-deaths-1555751?infinitescroll=1

Tribune - 23 Oct 2024 11:21 AM

New Delhi, Oct 23: The Supreme Court on Tuesday termed "very serious" the issue pertaining to 171 police encounters in Assam from May 2021 to August 2022 and sought details, including about the probe conducted in these matters.

A bench of Justices Surya Kant and Ujjal Bhuyan was hearing a plea challenging a January 2023 order of the Gauhati High Court which had dismissed a public interest litigation (PIL) raising the issue concerning these encounters by Assam Police, reported a national newswire.

In its order, the High Court had referred to an affidavit filed before it by the Assam government which said 171 incidents had taken place from May 2021 till August 2022 in which 56 people died, including four in custody, and 145 were injured.

During the hearing on Tuesday, the apex court observed, "It is a very, very serious issue. One hundred and seven-one incidents are alarming."When the counsel appearing for Assam said the High Court was not inclined to entertain the PIL and termed it premature, the bench observed, "Petitions like this can't be brushed aside as pre- mature".

Advocate Prashant Bhushan, appearing for petitioner Arif Md Yeasin Jwadder, argued that a large number of encounters had taken place in Assam and the State police were not complying with the guidelines issued by the apex court in its 2014 judgement on the procedure to be followed in probing police encounter cases.He argued the **National Human Rights Commission (NHRC)** and the Assam Human Rights Commission did not discharge their duties enjoined by law in these cases."In civil liberty matters, the Supreme Court expects you to be at the forefront," the bench told the counsel appearing for the commissions.

"Once they (Human Rights Commission) have received a letter or complaint, don't wait for the complainant to come to you. You use your machinery to find out the truth," the bench said.Observing that it was not an adversarial litigation, the top court said it was conscious of the sensitivity of the matter and also about the geographical location of the State."But at the same time, if there is a mandate, then compliance is needed," it told

the State's counsel, adding, "You have to follow the mandate its order that separate FIRs of law.

"It asked the State to furnish details of these 171 incidents, including who investigated these cases and what was their outcome."The State has a very troubled past," the bench observed during the hearing.The State's counsel said the High Court had noted in have been registered in all these 171 cases.He said the State authorities were complying with the guidelines issued by the apex court in the 2014 verdict.Earlier in September, the SC, while hearing a special leave petition (SLP) against an order of the Gauhati High Court on alleged fake encounters in Assam, had said that the manner in which accused are losing their lives doesn't align with "the rule of law".

The Supreme Court also said that it intended to form a Commission to look into the matter, following which the matter was adjourned to October 22, enabling the government to produce its counter-affidavit.

The petitioner had claimed before the High Court that over 80 "fake encounters" were conducted by Assam Police from May 2021 till the date of filing of the writ petition, resulting in 28 deaths.

(Assam News)

'Are police personnel targeting a community?': SC on plea against Assam 'fake encounters'

https://scroll.in/latest/1074813/are-police-personnel-targeting-a-community-sc-on-plea-against-assam-fake-encounters

The state had 'a very troubled past' concerning staged gunfights, the court said.

Scroll Staff

Yesterday · 02:47 pm

The Supreme Court on Monday questioned whether the Assam Police was targeting a particular committee in the state through allegedly staged gunfights, Bar and Bench reported.

A bench of Justices Surya Kant and Ujjal Bhuyan also asked the state government about the "slow" police investigations in such cases. The bench made the verbal observation while hearing a petition on deaths in allegedly fake gunfights in the state.

The petitioner, Arif Jwaddar, claimed that more than 80 staged gunfights have taken place in the state since May 2021, when Bharatiya Janata Party leader Himanta Biswa Sarma became the chief minister. He said that 28 persons were killed and 48 were injured in "fake encounters" in this period.

Jwaddar approached the Supreme Court after the Gauhati High Court rejected his public interest litigation seeking an inquiry into the matter.

"Are police personnel targeting a community?" Bhuyan asked the state government on Monday. "Going overboard in their duties? Petitions such as this cannot be dismissed by stating as premature in nature."

He added: "The magisterial enquiry should not be going on till now. It should hardly take 10 or 15 days. These incidents are of 2021 and 2022. It would be futile."

"Whatever it maybe, it cannot be said that encounter did not happen," the court said, according to Bar and Bench. "State has a very troubled past. There are reports as well. You cannot deny that."

During the proceedings, Advocate Prashant Bhushan, representing the petitioner, claimed that hundreds of staged gunfights had taken place in Assam, Live Law reported.

There were neither forensic and ballistic analyses nor a magisterial or independent inquiry in the majority of these cases, Bhushan said. Cases were instead filed against the victims of such gunfights, he claimed, adding that the police officers accused of staging them probed such cases.

Additional Advocate General Nalin Kohli, representing the Assam government, noted that the Gauhati High Court had expressed concerns about the credentials of the petitioner and the “patently false” statements, according to Live Law.

Subsequently, the top court asked whether the National Human Rights Commission had ordered any investigation into such cases.

In response, Bhushan told the bench that the petitioner had first approached the commission. The case was then transferred to the Assam Human Rights Commission, which closed it.

The bench remarked that it expected the **National Human Rights Commission** to be at the “forefront on these civil liberties issues”. It said it would examine whether the Assam Human Rights Commission should have gone to the court with the data instead of closing the cases.

The matter was listed for hearing on November 26 after the court asked the state government to give details of 171 “encounter” cases.

In the earlier hearing on September 10, the court said that it intended to form a commission to look into such deaths.

Since Sarma became the chief minister of Assam, the state has seen several police shootings. Many of those injured and killed belong to the state’s ethnic and religious minorities. The police have defended their actions, claiming that the accused persons were gunned down as they were trying to flee or attacking officials.

In February 2023, the Assam Human Rights Commission found two officials guilty of killing a man accused of theft in a fake gunfight in 2021.

Nevertheless, state Parliamentary Affairs Minister Pijush Hazarika told the Assembly on April 4 that no one had been killed in “police encounters” in Assam. While Hazarika stated that some casualties and injuries have occurred due to police action, he claimed that the police fired in self-defence in those cases.

TIRHUT NOW, Online, 24.10.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

सुनीता किडनी कांड मामले में एनएचआरसी में अवमानना वाद दायर।

https://tirhutnow.com/medical/contempt-case-filed-in-nhrc-in-sunita-kidney-case/

ByTirhut Now Oct 23, 2024 Contempt case filed, NHRC, Sunita kidney case.

मुजफ्फरपुर :- जिले के चर्चित किडनी कांड मामले में पीड़िता सुनीता की मौत के बाद **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में अवमानना वाद दायर किया गया है। यह वाद मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा के द्वारा दायर कराया गया है। अधिवक्ता श्री झा ने कहा कि बिहार सरकार मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है। सुनीता की मौत सिर्फ-और-सिर्फ बिहार सरकार की लापरवाही का नतीजा है। माननीय आयोग के द्वारा बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर बिहार सरकार, पीड़िता सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाये। लेकिन माननीय आयोग द्वारा दिए गये आदेश का पालन बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया, जिस कारण सुनीता को अपनी जान गँवानी पड़ी।

विदित हो कि चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की मौत 21 अक्टूबर को हो गई। माननीय आयोग के द्वारा बिहार सरकार को आदेश दिया गया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर बिहार सरकार, पीड़िता सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाये, लेकिन बिहार सरकार द्वारा किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कोई ठोस सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अगर माननीय आयोग के द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन बिहार सरकार के द्वारा किया जाता तो पीड़िता सुनीता का बचाया जा सकता था।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

BHASKAR, Online, 24.10.2024

Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

सुनीता किडनी कांड मामले में NHRC में अवमानना वाद दायर:वकील ने कहा- बिहार सरकार की लापरवाही से गई जान, मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं

https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/contempt-case-filed-in-nhrc-in-sunita-kidney-scandal-case-133851942.html

मुजफ्फरपुर12 घंटे पहले

मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अवमानना वाद दायर किया गया है। वाद मानवाधिकार के अधिवक्ता एस.के झा ने दायर कराया है। वकील ने कहा कि बिहार सरकार मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है। सुनीता की मौत सिर्फ औ सिर्फ बिहार सरकार की लापरवाही का नतीजा है।

आयोग ने बिहार सरकार को आदेश दिया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर बिहार सरकार, पीड़िता सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन आयोग द्वारा दिए गए आदेश का पालन बिहार सरकार ने नहीं किया। इस कारण सुनीता को अपनी जान गवानी पड़ी।

गौरतलब हो कि चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की मौत 21 अक्टूबर को हो गई। आयोग ने बिहार सरकार को आदेश दिया था कि उच्च प्राथमिकता के आधार पर बिहार सरकार, पीड़िता सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन बिहार सरकार ने किडनी प्रत्यारोपित करने की दिशा में कोई ठोस सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अगर माननीय आयोग द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन बिहार सरकार द्वारा किया जाता तो पीड़िता सुनीता को बचाया जा सकता था।